



कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

क्रमांक: एफ- () एफसीए/उवसं/ 1803

दिनांक 18-3-20

अधिसारी अभियंता,

आर.आर.एस.एम.पी. योजना,

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा।

विषय :- Diversion of 4.1 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahpura (Bhilwara, Rajasthan) for Construction of Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP /RJ /ROAD /20893/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रम है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक प. 8वी/राज./06/18/2018/एफ.सी./ 543 दि. 11.12.2018 द्वारा वांछित प्रकरण में 4.1 है. संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रत्यावर्तन एवं 299 वृक्षों के पातन की सशर्ताधीन सौद्वान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

उक्त सडक पर माह मई 2019 के पश्चात आप द्वारा सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति/कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही 0.95 है. वन भूमि में सडक निर्माण कार्य किया गया है।

बिना सक्षम स्तर स्वीकृति वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने बाबत आपके पत्र क्रमांक 7542 दि. 3.2.2020 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिधतन नई दिल्ली के पत्रांक एफ-11-42/2017/एफ.सी./ दि. 29.01.2018 द्वारा गाईडलाईन के विन्दु "बी" सार्वजनिक उपयोग के प्रकरण में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुली क्षेत्री का वन मानते हुए एन.पी.वी. रु. 626000/- प्रति हैक्टर की दर की गणना से आप राशि 109028/- रु. कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के नवीन लेखा राजस्थान केम्पाफण्ड खाता में ऑनलॉइन पोर्टल के माध्यम से जमा करा पालना स्वरूप ऑनलॉइन ई-रसीद की छाया प्रति प्रेषित कर अवगत करावे। उक्त मांग पत्र में राशि गणना अवधि आज दिनांक से जारी किया माना जाकर मांग पत्र में हुए अवधि विलम्ब की गणना आप द्वारा की जाकर तदानुसार राशि जमा करायी जावे।

मांग राशि=एन.पी.वी.Xउल्लघन अवधि/12X0.2

594700X11/12X0.2=109028 Rs.

भवदीय,

(डी.पी.जागावत)

उप वन संरक्षक,

भीलवाडा

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner